<u>न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा</u>

पीठासीन अधिकारी : आर. के. मीना, आर.ए.एस.

<u>प्रकरण संख्या : 02/2018 **FSSA**</u>

1. सरकार जरिये श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ।

— आवेदक—

<u>बनाम</u>

1. श्री दामोदर प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री रामस्वरूप अग्रवाल
   एफबीओ मैसर्सः— बंसल ट्रेडर्स, गीजगढ रोड, सिकन्दरा चौराहा, तहसील सिकराय, जिला दौसा।
2. श्री रमेश चन्द सैनी
   एफबीओ मैसर्सः— शिव एजेन्सीज, जडाव फाटक के पास, भालका का बास दौसा।
3. श्री मंतोष कुमार वर्मा पुत्र श्री जे.पी. वर्मा
   एफबीओ मैसर्सः—तिरूपति उद्योग, 49—सी, इण्डस्ट्रीयल एरिया, झोटवाडा जयपुर।
4. मैसर्सः— तिरूपति उद्योग, 49—सी, इण्डस्ट्रीयल एरिया, झोटवाडा जयपुर।

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं उपस्थित।
: श्री दुर्गाप्रसाद सैनी अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त सं. 1 व 2 उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त सं. 3 व 4 अनुपस्थित।

<u>—: आदेश :—</u> दिनांकः— 27.07.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/ नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 6.3.2017 को दोपहर 02:00 बजे मैसर्सः— बंसल ट्रेडर्स, गीजगढ रोड, सिकन्दरा चौराहा, तहसील सिकराय, जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री दामोदर प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री रामस्वरूप अग्रवाल उपस्थित मिला। विक्रेता ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया। विक्रेता को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना नहीं जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में एक रैक में करीबन 500 एमएल पैकिंग में पैक 20 पैट बोतल **Refined Soyabean Oil (Pawan)** आम जनता को बेचने हेतु रखे हुये थे। इसमें मिलावट का शक होने पर इनमे से 4 मूल बोतल X 500 एमएल नमूने की जॉच हेतु खरीदी। जिनकी कीमत 200 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं के हस्ताक्षर कर गवाहान व विक्रेता एफ.बी.ओं. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा मूल पैक बोतल **Refined Soyabean Oil (Pawan)** पर लेबल चिपकाकर बोतलो को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Khilari Meena
Date: 2022.08.26 18:20:24 IST
Reason: SelfAttested

कर बोतलो पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–1590 गोंद से चिपकाकर बोतलों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलों को चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर कर बोतलो पर एफबीओ(विक्रेता) व गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द बोतलों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बंद बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री गोकुल चन्द बैरवा च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 7.3.2017 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक राज. जयपुर के यहां जमा करवाये। नमूने की दो सील बन्द बोतल व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 7.3.2017 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने की चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 8.3.2017 को डी.ओ. व सी. एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ **Refined Soyabean Oil (Pawan)** का नूमना खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./368/एक्ट/2017/435 दिनांक 22.3.2017 के अनुसार मिसब्राण्ड पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री दुर्गाप्रसाद सैनी उपस्थित आये एवं जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तामील करवाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुये, जिस पर एकतरफा कार्यवाही की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त सं. 1 व 2 की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./368/एक्ट/2017/435 दिनांक 22.3.2017 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ **Refined Soyabean Oil (Pawan)** के नमूने के लेबल पर **"Best before 9 months from the date of packaging"** प्रिन्ट किया गया है। जिसके स्थान पर **"BEST BEFORE 9 MONTHS FROM PACKAGING/MANUFACTURE"** प्रिन्ट होना चाहिये था। इस कारण पैकेजिंग एवं लेबलिंग अधिनियम 2011 के नियम 2.2.2(10) का उल्लंघन होने के कारण उक्त खाद्य पदार्थ मिसब्राण्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्तगण ने एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन कर मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ **Refined Soyabean Oil (Pawan)** का विक्रय किया है। अतः अधिनियम की धारा 52 एफएसएसए 2006 में वर्णित प्रावधानों के तहत अप्रार्थी अभियुक्तगण को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित करने का श्रम करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kumar Meena
Date: 2022.08.26 18:20:24 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री महेन्द्र चतुर्वेदी द्वारा दिनांक 6.3.2017 को अभियुक्त संख्या 1 मैसर्सः–बंसल ट्रेडर्स गीजगढ़ रोड, सिकन्दरा चौराहा से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूने की सीपीए जयपुर की जांचर रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ मिसब्राण्ड पाया गया। प्रार्थी अभियुक्त संख्या 2 पैकिंग मैटेरियल का थोक विक्रेता एवं लाईसेन्सधारी है। प्रार्थी ने दिनांक 13.1.2017 को

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

को तिरूपति उद्योग जयपुर से बिल संख्या 13688 के तहत उक्त रिफाईन्ड तेल 500 एमएल खरीदा था। जिसको उसी स्थिति में 25.1.2017 को बिल संख्या 5530 से अभियुक्त संख्या 1 मैसर्सः–बंसल ट्रेडर्स सिकन्दरा चौराहे को विक्रय कर दिया था। अभियुक्त संख्या 1 द्वारा जिस स्थिति में खरीदा था उसी स्थिति में विक्रय कर दिया। एफएसएसए की धारा 80(बी)(डी) का 1 में अभिनिर्धारित किया है कि ''उस व्यक्ति ने खाद्य का उसी स्थिति में विक्रय किया था जिसमे उस व्यक्ति ने उसका क्रय किया था'' इस प्रावधान के अनुसार अभियुक्त संख्या 1 व 2 द्वारा कोई अपराध नही किया गया है। सीपीए रिपोर्ट में 2.2.2(10) एफएसएसए (पी एण्ड एल) नियम 2011 के तहत मिसब्राण्ड नमूना मिसब्राण्ड बताया गया है, किन्तु पैकिंग पर बेस्ट बिफोर 9 मंथ फ्रोम द डेट पैकिंग अंकित किया हुआ है। जो 2.2.2(10) एफएसएसए (पी एण्ड एल) नियम 2011 के प्रावधान के अनुसार है। इसलिये अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद में प्रार्थीगण को दोषमुक्त किया जावे।

हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य प्रयोगशाला जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./368/एक्ट/2017/435 दिनांक 22.3.2017 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ **Refined Soyabean Oil (Pawan)** का नमूना पैकेजिंग एवं लेबलिंग अधिनियम 2011 के नियम 2.2.2(10) का उल्लंघन होने के कारण मिसब्राण्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्तगण संख्या 3 व 4 जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तामील करवाये जाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुये एवं उनके द्वारा प्रकरण में काई जवाब भी प्रस्तुत नहीं कराया गया है। अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(**II**) **का उल्लंघन कर मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ Refined Soyabean Oil (Pawan)** का विक्रय किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ **Refined Soyabean Oil (Pawan)** का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (**II**) एवं पैकेजिंग एवं लेबलिंग अधिनियम 2011 का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 लगायत 4 पर 10000/–(अक्षरे रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्तगण उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक .07.2022 के एक माह के अन्दर–अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक .07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर. के. मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

क्रमांक/ दिनांकः– .08.2022

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री दामोदर प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री रामस्वरूप अग्रवाल एफबीओ मैसर्सः– बंसल ट्रेडर्स, गीजगढ रोड, सिकन्दरा चौराहा, तहसील सिकराय, जिला दौसा।
4. श्री रमेश चन्द सैनी एफबीओ मैसर्सः– शिव ... जडाव फाटक के पास, भालका का बास दौसा।
5. श्री मंतोष कुमार वर्मा पुत्र श्री ... वर्मा एफबीओ मैसर्सः–तिरूपति उद्योग, 49–सी, इण्डस्ट्रीयल एरिया, झोटवाडा जयपुर।
6. मैसर्सः– तिरूपति उद्योग, 49–सी, इण्डस्ट्रीयल एरिया, झोटवाडा जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Khilari Meena
Date: 2022.08.26 13:20:24 IST
Reason: SelfAttested

(आर. के. मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा